

प्रेस नोट थाना राजघाट जनपद गोरखपुर दिनांक 31-07-2021

गैंगेस्टर एक्ट में दो अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा वांछित अपराधियों के विरुद्ध गिरफ्तारी के सम्बंध में चलाये जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी कोतवाली के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक राजघाट एंव टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर हर्वटबन्धा से मु0अ0सं0 156/2021 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना राजघाट गोरखपुर से सम्बन्धित वांछित दो अभियुक्तगण (1) सुहेल अंसारी पुत्र स्व0 रहमत अली निवासी तुर्कमानपुर हरिजन बस्ती थाना राजघाट जनपद गोरखपुर (2) गोलू उर्फ शिवम किशोर पुत्र नन्द किशोर निवासी तुर्कमानपुर भैसाखाना थाना राजघाट गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। उपरोक्त अभियोग की विवेचना प्रभारी निरीक्षक कोतवाली जनपद गोरखपुर द्वारा की जा रही है। अतः अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना कोतवाली गोरखपुर से विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

- 1- सुहेल अंसारी पुत्र स्व0 रहमत अली निवासी तुर्कमानपुर हरिजन बस्ती थाना राजघाट जनपद गोरखपुर
- 2- गोलू उर्फ शिवम किशोर पुत्र नन्द किशोर निवासी तुर्कमानपुर भैसाखाना थाना राजघाट गोरखपुर

गिरफ्तारी का दिनांक समय व स्थान-

दिनांक 31.07.2021 समय 12.05 बजे, गिरफ्तारी का स्थान –हर्वट बंधा

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास –

- 1-मु0अ0सं0 156/2021 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना राजघाट गोरखपुर ।
- 2-मु0अ0सं0 161/2019 धारा 364,302,201,120बी,34 भादवि थाना राजघाट जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी टीम में सम्मिलित पुलिस अधि0/कर्मचारी-

- 1-प्र0नि0 श्री विनय कुमार सरोज थाना राजघाट जनपद गोरखपुर ।
- 2- उ0नि0 विजय शंकर यादव थाना राजघाट जनपद गोरखपुर ।
- 3- का0 जयप्रकाश यादव थाना राजघाट जनपद गोरखपुर
- 3- का0 दीपक कुमार कुशवाहा थाना राजघाट जनपद गोरखपुर ।